



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



31 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 577 राँची, शुक्रवार,

22 सितम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

22 अगस्त, 2023

संख्या-5/आरोप-1-55/2020-23675(HRMS)--श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-गढ़वा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, काँके, राँची के विरुद्ध उपायुक्त, राँची के पत्रांक-5808, दिनांक 02.12.2020 द्वारा लगातार न्यूज नेटवर्क में प्रकाशन के आधार पर काँके अंचल स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पीछे जुमार नदी को भरकर बेचने की तैयारी में जमीन माफिया से मिलीभगत एवं सरकारी जमीन घोटाले में श्री कुमार की संलिप्तता से संबंधित आरोप प्रतिवेदित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई ।

उक्त आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-571(HRMS), दिनांक 19.01.2021 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया एवं विभागीय पत्रांक-402, दिनांक 20.01.2021 द्वारा उपायुक्त, राँची से उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-263(ii)/स्था०, दिनांक 22.02.2021 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. श्री कुमार दिनांक 28.02.2019 से अंचल अधिकारी, कांके के पद पर पदस्थापित हैं। कांके अंचल क्षेत्र अन्तर्गत “जुमार नदी को भर कर बेचने की तैयारी में जमीन माफिया एवं कांके लॉ कॉलेज से सटे रिंग रोड के किनारे करीब 25 एकड़ जमीन को प्लॉटिंग कर बेचने की तैयारी से संबंधित खबर प्रकाशित होने पर मामले की जाँच उपायुक्त, राँची के पत्रांक-5721/गो०, दिनांक 25.11.2020 द्वारा अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी, राँची से करायी गई।

अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी ने मामले की स्थानीय एवं राजस्व अभिलेखों से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-113(ii)/भू०ह०, दिनांक 28.11.2020 द्वारा समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि कांके अंचल के मौजा-नगड़ी, थाना सं०-53 के खाता सं०-267, 323, 236, 314, 283 एवं 3222 में सम्मिलित प्लॉट सं०-2338, 2303, 2323, 2306, 2276, एवं 2304 बकास्त भूईहरी जमीन खतियान में दर्ज है एवं खाता सं०-142, प्लॉट सं०-2309 गैरमजरूआ मालिक प्रकृति की भूमि है, जो बिरसा एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए भू-अर्जन वाद सं०-21/2758 द्वारा अर्जित है। भूमि की विवरणी खतियान के अनुसार निम्नवत् है-

क्र०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़)	अभ्युक्ति
1	नगड़ी थाना नं०-53	323	2303	0.89	बकास्त भूईहरी
2		367	2338	1.24	बकास्त भूईहरी
3		89	2325	0.47	भीडा उराँव वगै०
4		236	2323	1.14	बकास्त भूईहरी
5		101	2307	0.22	गोयन्दा उराँव वगै०
6		142	2309	0.82	गैरमजरूआ मालिक बी०ए०यू० अर्जित
7		314	2306	0.64	बकास्त भूईहरी
8		283	2276	0.60	बकास्त भूईहरी पहनई
9		322	2304	1.15	बकास्त भूईहरी
10		237	2328	1.41	गैरमजरूआ भूईहरी पहनई
11		237	2327	0.46	गैरमजरूआ भूईहरी पहनई
12		136	2308	0.39	गैरमजरूआ मालिक
13		285	2277	0.55	गैरमजरूआ भूईहर पहनई
14		-	2326	-	अज्ञात

खाता सं०-136, प्लॉट सं०-2308 एवं 2381 क्रमशः रकबा 0.39 एवं 20.20 एकड़ भूमि गैरमजरूआ मालिक प्रकृति की है, जिसमें प्लॉट सं०-2381, रकबा-20.20 एकड़ भूमि खतियान में नदी के रूप में दर्ज है। नदी के रूप में दर्ज प्लॉट सं०-2381, रकबा-20.20 एकड़ के अंश भाग पर रिवर व्यू गार्डन के प्रोपराइटर कमलेश कुमार द्वारा मिट्टी भरवा कर समतलीकरण का कार्य कराया जा रहा है। काफी लम्बे समय से सरकारी भूमि जिसकी प्रकृति नदी है, को भरा जाना, श्री अनिल कुमार, अंचल अधिकारी, कांके के संज्ञान में नहीं आया हो ऐसी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त भूमि के अतिक्रमण में कही न कही अंचल अधिकारी, कांके की संलिप्तता है। सरकारी भूमि का संरक्षक होने के बावजूद अंचल अधिकारी, कांके द्वारा अतिक्रमण को नजरअंदाज करना खेद का विषय है।

अंचल अधिकारी, कांके द्वारा दिनांक 10.11.2020 को ईमेल के माध्यम से प्रतिबंधित भूमि की सूची उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उपर्युक्त अतिक्रमित भूमि को प्रतिबंधित सूची में नहीं दर्ज किया गया, जिस पर भू-माफिया द्वारा कार्य कराया जा रहा है। यह भी अंचल अधिकारी, कांके की संलिप्तता को दर्शाता है।

राज्य सरकार के सरकारी संपत्ति एवं भूमि का संरक्षण एवं सरकार के अधीन बनाए रखने का दायित्व संबंधित अंचल अधिकारी का मूल कर्तव्य है। प्रस्तुत मामले में अंचल अधिकारी उक्त भूखण्ड जो नदी है, को असामाजिक तत्व जैसे भू-माफियाओं के स्तर से रैयतीकरण कर स्वामित्व प्राप्त करने का प्रयास किया गया, उक्त कार्य में इनकी सहभागिता परिलक्षित होना इनके कार्य/दायित्व के प्रति लापरवाही को स्पष्ट करता है। इनका उक्त कृत्य एवं आचरण कर्तव्य के प्रति असंवेदनशीलता को भी प्रमाणित करता है। उक्त के लिए श्री अनिल कुमार, अंचल अधिकारी, कांके प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं।

2. श्री कुमार का उक्त आचरण प्रथम दृष्ट्या पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(1)(i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों पर श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-855(HRMS), दिनांक 24.01.2022 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-105, दिनांक 11.05.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित दोनों आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-7573, दिनांक 01.12.2022 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री कुमार के पत्र, दिनांक 22.02.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) प्रासंगिक आरोपों/मामलों के संदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा तीन अलग-अलग जाँच प्राधिकार (a) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची झारखण्ड (b) आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची एवं (c) संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी को सम्पूर्ण मामले में उनके विरुद्ध आरोपित शिकायतों के जाँच का निर्देश निर्गत है ।

(ii) संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी को सम्पूर्ण मामलों में उनके द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कि आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा जाँच दल गठित करते हुए विस्तृत एवं गहन जाँच के उपरान्त सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भेजे गए जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1949/रा., दिनांक 29.12.2020 में प्रासंगिक मामले में उनके स्तर से किये गए कार्रवाई को अंकित करते हुए उनको कही भी दोषी नहीं बताया गया है, ऐसी स्थिति में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन/पत्र का गलत व्याख्या करते हुए कहा जाना कि इसमें केवल B.A.U. के भूमि का उल्लेख है स्पष्ट है कि शेष भूमि पर या नदी कि भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या संरचना जाँच के क्रम में नहीं पाया गया है। उक्त आरोप सत्य से परे है ।

(iii) विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा आरोप पत्र में अंकित जिन दो आरोप (i) अतिक्रमित भूमि को प्रतिबंधित सूची में शामिल नहीं किया जाना एवं (ii) सरकारी भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण को नजर अंदाज को प्रमाणित करते हुए विभाग को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, के संदर्भ में कहना है कि उनके द्वारा Email के माध्यम से न केवल पूर्व प्रतिबंधित भूमि की सूची का पुनः सत्यापन एवं छुटे हुए सरकारी भूमि को प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित करते हुए पत्रांक-984 दिनांक 02.12.2020 को प्रतिबंधित भूमि की सूची उपायुक्त, राँची को प्रेषित की गई थी। प्रश्नगत खाते की भूमि पूर्व में भी प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित है। अतिक्रमण का मामला प्रकाश में आते ही हर संभव कार्रवाई यथा अतिक्रमण वाद का संचालन, अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध दो अलग-अलग F.I.R. दर्ज कराया जाना, संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण कारण पृच्छा निर्गत करना, स्थानीय पुलिस को सरजमी का लगातार निरीक्षण करने का निर्देश संबंधी पत्र निर्गत करना, आदि शामिल है, संबंधित साक्ष्य सहित कारण पृच्छा समर्पित करने के बाद भी आरोपों को सही माना जाना उनके साथ न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

(iv) प्रासंगिक आरोप पत्र में उपायुक्त, राँची का यह प्रतिवेदन कि दिनांक 10.11.2020 को Email के माध्यम से प्रेषित प्रतिबंधित सूची में अतिक्रमित भूमि को नहीं दर्शाया गया है, के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि अंचल कार्यालय, काँके द्वारा ऐसा कोई भी पत्र/प्रतिवेदन/सूची अंकित तिथि को उपायुक्त या किसी अन्य पदाधिकारी को प्रेषित नहीं है। अतः ऐसा कोई भी आरोप प्रतिवेदित किया जाना एवं उसका उनके बचाव ब्यान/पूरक बचाव ब्यान में उपर्युक्त तथ्य अंकित किये जाने के बाद भी प्रमाणित किया जाना समझ से परे है तथापि कि उपस्थापन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, राँची द्वारा भी उनके द्वारा दिए गए बचाव बयान एवं साक्ष्यों को नकारा नहीं गया है ।

(v) संचालन पदाधिकारी द्वारा यह आरोपित किया जाना, कि ग्यारह माह में सिर्फ एक अतिक्रमण वाद की कार्रवाई की गयी है, के संबंध में स्पष्ट करना है कि उसी वर्ष संबंधित सरकारी भूमि पर किये गए अतिक्रमण वाद एवं प्राथमिकी के अतिरिक्त (2019-20) कुल 58 विविध वाद में समुचित आदेश पारित कर लगभग 110 एकड़ सरकारी भूमि को संरक्षित करने का कार्य किया गया है, जिस पर संचालन पदाधिकारी द्वारा विचार ही नहीं किया गया है।

(vi) इस संबंध में यह भी समर्पित करना है कि राज्य सरकार के निर्देश पर प्रासंगिक मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची झारखण्ड (ACB) द्वारा जाँच सं. P.E-17/2020 दिनांक 24-12-2020 दर्ज करते हुए पूरे मामले की पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी को जाँच पदाधिकारी नामित करते हुए जाँच कराई गयी थी। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, राँची को प्रेषित प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि उपर्युक्त मामले में उनके विरुद्ध लगाये गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती है, जिसकी पुष्टि संबंधित विभाग से की जा सकती है।

(vi) स्पष्ट है कि पूरे मामले में दो सक्षम प्राधिकार आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची झारखण्ड (ACB) द्वारा किये गए जाँच में आरोपों को सही नहीं पाए जाने के बावजूद संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर दंड अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः सम्पूर्ण मामले की पुनः समीक्षा कर प्रस्तावित दण्ड क्षान्त की जाय।

श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-2375, दिनांक 25.04.2023 एवं पत्रांक-2376, दिनांक 25.04.2023 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से संबंधित मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना सं0-21733, दिनांक 19.06.2023 द्वारा श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किया गया।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-1713, दिनांक 18.05.2023 द्वारा संबंधित मामले में दर्ज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पी०ई० संख्या-17/2020, दिनांक 24.12.2020 की जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के साथ पुलिस अधीक्षक, भ०नि० ब्यूरो, राँची द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को प्रेषित पत्रांक-11803, दिनांक 10.10.2022 में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री अनिल कुमार, अंचल अधिकारी, कांके अंचल, राँची/राजस्व कर्मियों के विरुद्ध राँची जिला के कांके अन्तर्गत जुमार नदी को भरकर अतिक्रमण करने के आरोप में भ०नि० ब्यूरो जाँच संख्या पी०ई० 17/2020, दिनांक 24.12.2020 (राँची प्रमंडल) दर्ज कर जाँच प्रारंभ किया गया है। उक्त के आलोक में जाँचकर्ता द्वारा जाँचोपरांत दिनांक 22.08.2022 को प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि अभी तक के जाँच में पाये गये तथ्यों से प्रश्नगत भूखण्डों पर अतिक्रमण करने में अंचलाधिकारी, अनिल कुमार संबंधित अंचल निरीक्षक, जगदीश उराँव एवं राजस्व उप-निरीक्षक, रणजीत कुमार का अतिक्रमण करने वालों के साथ अपराधिक गठजोड़ की पुष्टि नहीं हो रही है। दूसरी तरफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध उपरोक्त लोक सेवकों द्वारा

समय कार्रवाई अपने स्तर से नहीं किया गया है। इसके लिए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का मामला बनता है, जो इनके विरुद्ध इनके प्रशासी विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो वर्तमान में लंबित है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस जाँच को संचिकास्त करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

तदनुसार जाँचकर्ता के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत भ्र०नि० ब्यूरो द्वारा इस जाँच को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर ब्यूरो प्रमुख का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार के विरुद्ध मूल आरोप मौजा-नगड़ी अन्तर्गत प्लॉट सं०-2387, रकबा-20.20 एकड़ नदी की भूमि पर रिवर भ्यू गार्डन के प्र० श्री कमलेश कुमार द्वारा मिट्टी भरकर समतलीकरण करते हुए अतिक्रमण किये जाने के मामले में उनकी संलिप्तता एवं दिनांक 10.11.2020 को प्रेषित प्रतिबंधित भूमि की सूची में उक्त भूमि को शामिल नहीं किये जाने से संबंधित है।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप पत्र में गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। उक्त प्रतिवेदित आरोपों हेतु उनके विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि के रोक पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में प्रतिवेदित है कि आरोप से संबंधित प्रश्नगत अतिक्रमण का मामला दिनांक 25.11.2020 को संज्ञान में आने पर उनके द्वारा ज्ञापांक-954, दिनांक 25.11.2020 द्वारा संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अमीन को मापी करने का आदेश दिया गया। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उसी दिन 27.11.2020 को अतिक्रमणकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी एवं पत्रांक-971, दिनांक 30.11.2020 द्वारा संबंधित भूमि की सतत् निगरानी हेतु थाना प्रभारी को पत्र निर्गत किया गया। साथ ही, प्रश्नगत भूमि पर सरकारी भूमि रक्षा बोर्ड अधिष्ठापन किया गया एवं अतिक्रमण वाद सं०-01/2020-21 भी प्रारंभ कर अग्रतर कार्रवाई की गयी।

(ii) मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी) से प्राप्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रतिवेदन में प्रश्नगत भू-खण्डों पर अतिक्रमण करने में अंचल अधिकारी, अनिल कुमार का अतिक्रमण करने वाले के साथ आपराधिक गठजोड़ की पुष्टि नहीं की गई है।

(iii) श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों में उक्त सरकारी भूमि के हस्तांतरण, दाखिल खारिज एवं जमाबंदी कायम करने से संबंधित कोई तथ्य सन्निहत नहीं है बल्कि अतिक्रमण कराने में संलिप्तता एवं प्रेषित प्रतिबंधित सूची में उक्त भूमि को शामिल नहीं करने से संबंधित मामला है।

अतः समीक्षोपरांत आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर विचार करते हुए पूर्व में प्रस्तावित दण्ड संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक को संशोधित करते हुए श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, काँके, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत अंसचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANIL KUMAR SINGH 110071165689	श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-गढ़वा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, काँके, राँची के विरुद्ध अंसचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
